

प्रेषक,

रमेश मिश्र
विशेष सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद— अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, औरैया, आजमगढ़, बदायूँ, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, जे0पी0 नगर, कन्नौज, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर—खीरी, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सन्त कबीरनगर, सन्त रविदासनगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, आगरा, इलाहाबाद, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बिजनौर, चंदौली, इटावा, फरुखाबाद, गोण्डा, जौनपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, वाराणसी, ललितपुर तथा महोबा।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2011

विषय:—समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) योजनान्तर्गत डाटा सेल में रखे गये कर्मचारियों के यात्रा भत्ता भुगतान के निर्देश में संशोधन विषयक।

महोदय,

पत्र सं0 1022/54-1-11-6(9)/2011 दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) योजनान्तर्गत डाटा सेल में रखे गये कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के भुगतान के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त निर्देशों में सड़क मील भत्ता एवं उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर यात्रा भत्ता (टी0ए0/डी0ए0) विषय सम्मिलित नहीं किया गया था।

एतद्वारा उपरोक्त निर्देशों में सड़क मील भत्ता एवं उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर टी0ए0/डी0ए0 की निम्नलिखित दरों को सम्मिलित किया जाता है जो तद् दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से प्रभावी माना जायेगा।

1. **सड़क मील भत्ता:**— अल्प दूरी की यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर एस0एल0एन0ए0, डाटा सेल में रखे गये कर्मचारियों को सड़क मील भत्ता रू0 10.00 प्रति कि0मी0 की दर से देय होगा।
2. **उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर टी0ए0/डी0ए0:**— उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर उन्ही दरों से दैनिक भत्ते अनुमन्य होंगे जो उस स्थान के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है। यदि किसी होटल या अन्य संस्थान में जहां ठहरने और भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टेरिफ पर उपलब्ध हो, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। यह दैनिक भत्ता तत्सम्बन्धित निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि प्रदेश के बाहर के उन स्थानों

